भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

इस मंत्रालय द्वारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियम, 1999 के खंड 8(3)(1) में संशोधन लाने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है। खंड 8(3)(1)(घ) के मौजूदा प्रावधान एवं प्रस्तावित प्रावधान निम्नलिखित हैं:

मौजूदा	**प्रस्तावित**
8(3)(1)(घ) यदि यह पाया जाता है कि किसी संस्थान द्वारा नकली/जाली दस्तावेजों के साथ किसी अध्यापक को नियोजित किया गया है और ऐसे अध्यापक के घोषणा प्रपत्र को प्रस्तुत किया गया है, तो ऐसे संस्थान के संबंध में अनुमति के नवीकरण/एम.बी.बी.एस. डिग्री प्रदान करने की मान्यता/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रकों के लिए प्रस्तुत आवेदनों पर कार्रवाई करने पर दो शैक्षणिक वर्षों अर्थात् उस शैक्षणिक वर्ष के साथ-साथ अगले शैक्षणिक वर्ष तक विचार नहीं किया जाएगा। *[जिन कॉलेजों में यह पाया जाता है कि नकली/जाली दस्तावेजों के साथ अध्यापकों को नियोजित किया गया है]* फिर भी, परिषद का कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निरीक्षण केंद्र/राज्य सरकार द्वारा घोषित महत्वपूर्ण धार्मिक पर्वों की छुट्टी के 3 दिन पहले से लेकर 3 दिन बाद तक न किए जाएं।	यदि यह पाया जाता है कि किसी संस्थान द्वारा नकली/जाली दस्तावेजों के साथ किसी अध्यापक को नियोजित किया गया है; **उसी शैक्षणिक वर्ष में विभिन्न संस्थानों के मूल्यांकनों में कई बार उसकी उपस्थिति देखी गई है और या तो घोषणा-प्रपत्र में या कॉलेजों के मूल्यांकन के दौरान इसका उल्लेख नहीं किया गया है या इस संबंध में गलत सूचना दी गई है; कार्य अवधि के दौरान वह निजी प्रैक्टिस करता हुआ पाया गया है और इस तथ्य का उल्लेख मूल्यांकन के समय प्रस्तुत किए गए घोषणा-पत्र में नहीं किया गया है, तो ऐसे संस्थान के संबंध में एलओपी जारी करने तथा** अनुमति के नवीकरण/एम.बी.बी.एस. डिग्री प्रदान करने की मान्यता/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रस्तुत आवेदनों पर कार्रवाई करने पर दो शैक्षणिक वर्षों अर्थात् उस शैक्षणिक वर्ष के साथ-साथ अगले शैक्षणिक वर्ष तक विचार नहीं किया जाएगा। फिर भी, परिषद का कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निरीक्षण केंद्र/राज्य सरकार द्वारा घोषित महत्वपूर्ण धार्मिक पर्वों की छुट्टी के **2 दिन पहले से लेकर 2 दिन बाद तक** न किए जाएं।

एतद् द्वारा प्रस्तावित संशोधन के संबंध में आम जनता से सुझाव/फीडबैक प्रेषित करने का अनुरोध किया जाता है। सुझाव दिनांक 30.09.2015 तक ई-मेल ali.rizvi@nic.in पर प्रेषित किए जा सकते हैं।

(अली आर. रिजवी)
संयुक्त सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा